

प्रेषक,

वीरेन्द्र नाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2016

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2016-17 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी। 2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों में उनकी आवश्यकता, उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों आदि की उपलब्धता का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये परिनियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्ष 2016-17 हेतु सीट वृद्धि के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही कराने का कष्ट करें। प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं तत्कम में निर्गत पूर्व शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।

Registrar
Dr. Prasen
3.8.16

संख्या- 747 (1)/सत्तर-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (4) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव